न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 104/2017

उनवान

1. सीताराम पुत्र ठण्डूराम
2. राधेश्याम पुत्र ठण्डूराम
3. गणपतलाल पुत्र ठण्डूराम
4. भगवान सहाय पुत्र ठण्डूराम
5. दामोदर प्रसाद पुत्र ठण्डूराम
6. गजानन्द पुत्र ठण्डूराम
7. सुन्दरी देवी पत्नी ठण्डूराम समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम घिनोई तहसील चौमू जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. आचुकी पत्नी हनुमान जाति कुम्हार
2. कैलाश पुत्र कल्याण सहाय
3. हणमान पुत्र झूँथा
4. बाबूलाल पुत्र झूँथा
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र झूँथा
6. भगवान सहाय पुत्र मंगला
7. गोविन्द पुत्र रामनाथ
8. श्रवण पुत्र लादूराम समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम घिनोई तहसील चौमू जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमू ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 11.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वह वाके ग्राम घिनोई तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 669 रकबा 0.70है0, खसरा नम्बर 675 रकबा 0.41है0, खसरा नम्बर 704/2614 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 819/2615 रकबा 0.07है0, खसरा नम्बर 820/2616 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 847 रकबा 1.16है0, खसरा नम्बर 1000 रकबा 0.93है0, खसरा नम्बर 1002 रकबा 2.07है0, खसरा नम्बर 1565 रकबा 0.66है0, खसरा नम्बर 1566 रकबा 0.58है0, खसरा नम्बर 1567 रकबा 0.10है0, खसरा नम्बर 1578/2619 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.17है0, खसरा नम्बर 1587 रकबा 1.26है0, खसरा नम्बर 1596/2535 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 1596/2620 रकबा 0.02है0, कुल किता 16 कुल रकबा 8.26है0 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण नें अपनी उक्त मद नं. 1 में वर्णित आराजी में खसरा नम्बर 1002 रकबा 2.07है0, खसरा नम्बर 1596/2535 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 1596/2620 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 1578/2619 रकबा 0.02है0 आराजी का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेशानुसार पटवारी हल्का घिनोई द्वारा 29.06.2017 को मौके पर प्रार्थीगण व आस पडोस के व्यक्तियों की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर निशान किये गये तथा निशानात कायम करने के उपरान्त मौके पर पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की जाकर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवायें गये थे।

उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी में मद नं. 2 में वर्णित ख.न. भूमि का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.06.2017 द्वारा किये गये सीमाज्ञान के आधार पर पुख्ता निशानात कायम कर पत्थगरगढी करवाना चाहता है एवं दिनांक:29.06.2017 के सीमाज्ञान के आधार पर उक्त वर्णित ख.न. की भूमि के उत्तर व पूर्वी सीमा की ओर पत्थरगढी की जाती है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की रक्षा हो सकगी तथा भविष्य में होने वालें विवादों सें छुटकारा मिल सकेगा और वाद बहुलता भी नही बढेगी। तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1002 रकबा 2.07है0, खसरा नम्बर 1596/2535 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 1596/2620 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 1578/2619 रकबा 0.02है0, के उत्तर व पूर्वी ओर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी भूमि है जिनकी बतौर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1002, 1578/2619, 1596/2535, 1596/2620 कुल किता 4 कुल रकबा 2.17है0 का सीमाज्ञान दिनांक 29.06.2017 के आधार पर कायम पुख्ता चिन्ह के अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 9 को आदेश प्रदान करे ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4, 5 की ओर सें अधिवक्ता उप0। तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4, 5 नें जरिये अधिवक्ता के जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित ग्राम घिनोई तहसील चौमू में सिथत आराजी खसरा नम्बर का रिकार्डेड खातेदार कौन है उस खातेदार का नाम अकिंत नही है। प्रार्थना पत्र की आड में प्रार्थीगण मिन जवाबदाता के भूमियों पर कब्जा करने का इरादा रखते है। साबिक खसरा नम्बर व साबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा के अनुसार मिन जवाबदाता का हान नक्शें में क्षेत्रफल में कमी की गई है एवं हान नक्शे सें सीमाज्ञान नही किया जाकर साबिक नक्शे सें सीमाज्ञान करवायी जाती है तो मिन जवाबदाता कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थीगण अपने खसरा नम्बर पर साबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा अनुसार काबिज काश्त है एवं हाल राजस्व नक्शें में कमी कर दिये जाने सें प्रार्थीगण नाजायज फायदा उठाना चाहत है जबकि मौके पर अर्से दराज सें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने-अपने सीमा में काबिज है ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फीरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय है। तथा तहसीलदाल चौमू सें उक्त प्रार्थीगण के आस पास की भूमियो की रिपोर्ट चाही गई है।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 29.06.2017 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 29.06.2017 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.01 08:52:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: